ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–21 / 20–21

विक्रम बेसरा उर्फ तालाबाबु बेसरा बनाम् **चन्दर मुर्मू उर्फ मरांग मुर्मू वगै0**

24.01.2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक विक्रम बेसरा उर्फ तालाबाबु बेसरा व देवीलाल बेसरा, दोनों पे0–स्व0 मरांग उर्फ अर्जुन बेसरा, सा0–रामकोल, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–रामकोल नं0–12, जमाबंदी नं0–37, दाग नं0–38, 40, 84, 106, 108, 262, 475, कुल रकवा–12–00–03 धूर भूमि से विपक्षीगण चन्दर उर्फ मरांग मुर्मू, ताला मुर्मू, जीवन मुर्मू, तीनों पे0–स्व0 चन्दा मुर्मू, छोटा जीवन मुर्मू, पे0–स्व0 गोपनाथ मुर्मू, सभी सा0–गोरंटिया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा अपने पत्रांक–541 / रा0, दिनांक–08.07.2021 एवं पत्रांक–933 / रा0, दिनांक–23.12.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षीगण द्वारा वर्ष 1999 से 2016 तक भू–लगान रसीद मारफती दिखाया गया, जबकि प्रथम पक्ष द्वारा प्रासंगिक भूमि संबंधी कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। प्रासंगिक भूमि अंतर्गत खतियान में दाग नं0–38, 40, 84, 106, 108, 262 एवं 475 के समुख्य कैफियत कॉलम में दखल मु0 मुनी मुर्मू अंकित है, जिसके वंशज विपक्षीगण है, जो जोत–आबाद करते है तथा शेष भूमि पर आवेदक जोत–आबाद करते हैं। उभय पक्ष के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत यह प्रतीत होता है कि उक्त विवाद स्वत्व से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः बिना किसी टिप्पणी के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

24.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:10:26 +05:30
Location: 192.168.8.115